

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 36/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 अप्रैल, 2015, जिसे सा.का.नि. 281 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

(फाइल संख्या- 354/111/2014-टीआरयू (पार्ट-2)

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार